तारीख हुक्म	**अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम सं.2, उदयपुर** **मुकदमा नंबर–68 / 2016(सीआईएस नं. 3345 / 2014) ई.दी.** **अनवान–कन्ना बनाम श्रीमती राधा व अन्य** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.1.2025	वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–14 सपठित धारा–151 सीपीसी दिनांक 10.12.2024 का निस्तारण किया जा रहा है। बहस प्रार्थनापत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों को दोहराते हुए तर्क दिये कि वादपत्र के साथ वादी ने मेवाड आंचलिक ग्रामीण बैंक का खाता संख्या–9501010075879 की पासबुक मय स्टेटमेंट की फोटो प्रति पेश की थी। उक्त बैंक का विलय राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक में होने से नया खाता संख्या–11340024284 हो जाने से वर्ष 2011 से अब तक के उक्त खाते के बैंक स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति मय बैंक प्रपत्र के वादी द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जिसे मुख्य परीक्षा के दौरान वादी प्रदर्शित कराना चाहता है। इसके अलावा विवादित भूमि के संबंध में उप जिला कलक्टर वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 47 / 2007 में दिनांक 18.5.2009 को पारित स्थगन आदेश का जमाबंदी में अंकन कराने हेतु कन्ना डांगी की पुत्री पुष्पा द्वारा तहसीलदार के समक्ष दिनांक 9.3.2011 को जो प्रार्थनापत्र पेश किया था जिसका वादपत्र में उल्लेख है उक्त प्रार्थनापत्र मय कार्यालय नोट की प्रमाणित प्रति भी वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसे भी वादी प्रदर्शित कराना चाहता है जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा आपत्ति की जाने पर प्रार्थनापत्र पेश कर इन दस्तावेजात् को रिकार्ड पर लिये जाने का वादी द्वारा निवेदन किया गया है। उक्त दस्तावेजात् आवश्यक एवं सुसंगत है, अतः रिकार्ड पर लिये जाकर प्रदर्शित कराने की अनुमति दी जावे। उक्त तर्कों का विरोध करते हुए दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाब प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों को दोहराते हुए तर्क दिये कि जिन दस्तावेजात् की वादी ने दावे के साथ फोटो प्रति पेश की है उनकी असल को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु वादी ने अत्यधिक विलम्ब के साथ प्रार्थनापत्र पेश किया है, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। उक्त दस्तावेजात् प्रकरण के अभिलेख के संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज भी नहीं है।	

तारीख हुक्म	**अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम सं.2, उदयपुर** **मुकदमा नंबर–68/2016(सीआईएस नं. 3345/2014) ई.दी.** **अनवान–कन्ना बनाम श्रीमती राधा व अन्य** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	केवल मात्र इस आधार पर कि दस्तावेज फर्जी नहीं है उन्हें रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। वादी ने पूर्व में भी आदेश–7 नियम–14 (3) सीपीसी के तहत अन्य दस्तावेजात् को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया था। प्रार्थनापत्र में वर्णित दस्तावेजात को पूर्व के प्रार्थनापत्र में जान बूझकर शामिल नहीं किया है। न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करने की अनुमति किसी भी पक्षकार को नहीं दी जा सकती है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। दोनों पक्षों के तर्कों पर गौर किया, पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी कन्ना डांगी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित भूमि के विक्रयपत्र दिनांक 2.11.11 को वादी के मुकाबले अवैध एवं शून्यकरणीय घोषित कराने हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें तथाकथित विक्रयपत्र को इसलिए फर्जी बताया है, क्योंकि उसमें वर्णित चैक से वादी को प्रतिफल राशि का भुगतान नहीं हुआ है, वादी को धोखे में रखकर प्रतिवादी सं.1 के नाम की व स्वामित्व की भूमि बताकर प्रतिवादी सं.2 के खाते की चैक बुक आईसीआईसीआई बैंक खाता उदयपुर से भुगतान किया है जिसकी वादी को कोई जानकारी नहीं थी, न ही उसकी सहमति थी। प्रतिवादी का कथन है कि वादी ने स्वैच्छापूर्वक प्रतिवादी सं.1 के पक्ष में बिकावनामा पंजीकृत कराया था और प्रतिफल हेतु दिये गये 2,51,000/–रूपये के चैक को उप प्रधान के सिखावे में आकर जान बूझकर बैंक में प्रस्तुत नहीं किये। उन्हें विवादित भूमि के संबंध में अन्य वाद लंबित होने की जानकारी नहीं थी, यदि स्थगन आदेश का अंकन जमाबंदी में होता तो प्रतिवादी सं.1 के पक्ष में बिकावनामा का पंजीकरण होता ही नहीं। इसके अलावा प्रतिवादीगण ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में 251000/–रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट भी आपराधिक प्रकरण में जमा करा दिया है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी अपने खाते का स्टेटमेंट प्रस्तुत कर यह साबित करना चाहता है कि उसे बिकावनामा की कोई राशि आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई थी तथा राजस्व वाद विचाराधीन होने एवं स्थगन आदेश जारी होने के	

तारीख हुक्म	**अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कम सं.2, उदयपुर** **मुकदमा नंबर–68/2016(सीआईएस नं. 3345/2014) ई.दी.** **अनवान–कन्ना बनाम श्रीमती राधा व अन्य** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बावजूद उसे धोखे में रखकर विक्रयपत्र निष्पादित किया गया था। यह साबित करने हेतु वादी बैंक खाते के स्टेटमेंट तथा उसकी पुत्री द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय कार्यालय नोट को प्रदर्शित कराना चाहता है। चूंकि उक्त दस्तावेजात् की नकल पत्रावली पर मौजूद है, अतः मूल दस्तावेजात् दौराने साक्ष्य प्रदर्शित कराने की अनुमति दी जानी न्यायोचित प्रतीत होती है। जिससे कि विवादित भूमि के विक्रय के संबंध में दोनों पक्षों के आशय एवं प्रतिफल राशि के भुगतान से संबंधित तथ्यों को साबित किया जा सके। साथ ही वादी की ओर से मूल दस्तावेजात् को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु कारित विलम्ब को देखते हुए प्रार्थनापत्र 500/–रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाना भी उचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–14 सपठित धारा–151 सीपीसी दिनांक 10.12.2024 को 500/–रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र में वर्णित दस्तावेजात् को रिकार्ड पर लिये जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली वास्ते अदा करने कोस्ट एवं साक्ष्य वादी हेतु दिनांक.....को पेश हो।	

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत———————————————————मुकाम——————————————————————————

—————————————————————————बनाम——————————————————————————

किस्म मुकदमा—————————————————नं0—————————————————सन्————————

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। परिवादी—————————उपस्थित। थानाधिकारी पुलिस थाना फतहनगर/मावली की ओर से श्री ————————————————ने यह एफ.आर. पेश की जिसका अवलोकन किया गया। एफ.आर. दर्ज रजिस्टर हो। एफ.आर. अदम पता (माल—मुलजिम) में कता की गई है। कोई आक्षेप परिवादी का एफ.आर. के विरोध में नहीं है। उपलब्ध सामग्री के परिप्रेक्ष्य में जिन अभिकथनों के आधार पर एफ.आर. प्रस्तावित की गई है, उनमें हस्तक्षेप करने की कोई गुजांईश प्रतीत नहीं हो रही है और ऐसा कोई आक्षेप भी नहीं है कि अनुसंधान निष्पक्ष नहीं हुआ हो। अतएव उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माल व मुलजिम की पतेरसी जारी रखने के निर्देश के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या——————पुलिस थाना फतहनगर/मावली में प्रस्तुत एफ.आर. एतद् अनुसार स्वीकार की जाती है। आदेश सुनाया गया। पुलिस थाना फतहनगर/मावली उक्त	

	प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराए। पत्रावली वास्ते देखने प्रगति रिपोर्ट दिनांक————————को पेश हो।	